न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2025	तारीख रजू 31.12.2025	तारीख फैसला 30-3-2026

1. बुद्धि प्रकाश पुत्र रामकिशोर,
2. गोपाल प्रसाद पुत्र बाबू लाल,
3. प्रद्युम्न पुत्र बाबू लाल,
4. रामधनी पत्नी बाबू लाल,
5. संजय कुमार पुत्र बाबू लाल,
6. सुनीता शर्मा पुत्री बाबू लाल,
7. नमो नारायण पुत्र हरसहाय,
8. महेश चंद पुत्र हरसहाय,
9. शंभूदयाल पुत्र हरसहाय,
10. सत्यनारायण पुत्र हरसहाय,
11. सुरेश पुत्र हरसहाय,
12. संपत्ति देवी पत्नी रामोतार,
13. दिनेश पुत्र रामोतार,
14. भवानी शंकर पुत्र रामोतार,
15. शिमला पुत्री रामोतार,
16. ललिता पुत्री रामोतार,

जाति ब्राह्मण, निवासी सुकार, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

17. बबली पुत्री रामोतार,

18. निशा पुत्री रामोतार,

19. दीपक कुमार पुत्र मोरध्वज,

20. मोरध्वज पुत्र मनोहर लाल,

21. रितेश कुमार पुत्र मोरध्वज,

22. विनोद कुमार पुत्र मोरध्वज,

23. सोहन लाल पुत्र मोरध्वज,

प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास,

2. कमलेश पुत्र केदार,
3. कृष्ण कुमार पुत्र दीनदयाल,
4. गीता देवी पुत्री केदार,
5. छीतर पुत्र केदार,
6. तारा पत्नी छीतरमल,
7. मुरारी पुत्र कन्हैया,
8. राजेश पुत्र दीनदयाल,
9. राधेश्याम पुत्र कन्हैया लाल,
10. विमला देवी पुत्री केदार,

जाति ब्राह्मण, निवासी सुकार, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

11. सुमित्रा पत्नी दीनदयाल,
12. प्रेमप्रकाश पुत्र स्व. रामेश्वर,
13. मनोहर पुत्र स्व. रामेश्वर,
14. सुरेश पुत्र स्व. रामेश्वर,
15. चन्द्रमोहन पुत्र स्व. रामेश्वर,
16. विनोद पुत्र स्व. रामेश्वर,
17. पुरुषोत्तम पुत्र स्व. रामेश्वर,
18. सुशीला पुत्री स्व. रामेश्वर,
19. निर्मला पुत्री स्व. रामेश्वर,
20. कमल पुत्री स्व. रामेश्वर,

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट</u>

<u>आदेश</u> दिनांक: 30·3·2026

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम सुकार, तहसील बामनवास स्थित खाता संख्या 37 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1202 रकवा 0.16 हेक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, खाता संख्या 255 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1201 रकवा 0.13 हेक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 की खातेदारी

उप खण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

व कब्जे काश्त की आराजी है, खाता संख्या 437 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1199 रकबा 0.30 हेक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 7 से 11 तथा 12 से 18 के पिता एवं पति रामोतार की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है, जिसको वे ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं । खातेदार रामोतार का निधन हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थीगण संख्या 12 से 18 हैं । रामोतार के निधन के पश्चात् उसके हिस्से पर उसके विधिक वारिसान काबिज हैं । खाता संख्या 178 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.26 हेक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 19 से 23 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् हैं, जिनको वे ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं । इसी प्रकार खाता संख्या 328 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1241 रकबा 0.19 हेक्टेयर, 1243 रकबा 0.27 हेक्टेयर, 1245 रकबा 0.21 हेक्टेयर (कुल किता 3, कुल रकबा 0.67 हेक्टेयर) प्रार्थीगण संख्या 21 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् हैं । प्रार्थीगण की उक्त आराजियात् से किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रार्थीगण ग्राम सुकार, तहसील बामनवास के निवासी हैं, जहां प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् स्थित हैं । प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के पश्चिम दिशा

उप... । कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

में ग्राम रिवाली के रकबे में खसरा नम्बर 680 मुख्य सड़क स्थित है, उक्त मुख्य सड़क से प्रार्थीगण अपने खेतों में ग्राम रिवाली स्थित गैरमुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 682 में होते हुए ग्राम सुकार स्थित गैरमुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1196 व 1198 में होकर, ग्राम छोटी लाख पटवार हल्का रिवाली में स्थित अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 की भूमि खसरा नम्बर 685 रकवा 3.84 हेक्टेयर में प्रार्थना पत्र में लाल रंग से दर्शित भाग से होते हुए शुरू से आते जाते रहे हैं तथा अपने कृषि यंत्र, हल, बैल, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे हैं, जो रास्ता आगे गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1274 ग्राम सुकार में मिल रहा है। खसरा नम्बर 685 में लाल रंग से दर्शित उक्त भूमि शुरू से ही रास्ते के काम में आ रही है । उक्त रास्ता सैटेलाइट नक्शे में भी स्पष्ट रूप से दर्शित है जो पश्चिम से पूर्व की ओर करीब 25 फिट चौड़ाई का है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से दर्शित किया गया है, प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु यही एक मात्र निकटतम रास्ता है, प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 685 के सहखातेदार रामेश्वर पुत्र जयलाल का निधन हो चुका है, जिसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 12 से 20 हैं, जिनको स्व. रामेश्वर के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 12 से 20 के रूप में संयोजित किया गया है ।

उपखंड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, आगे कथन किया है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मुख्य सड़क खसरा नम्बर 680 से निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 682 स्थित ग्राम रिवाली तथा 1196 व 1198 स्थित ग्राम सुकार में होता हुआ खसरा नम्बर 685 स्थित ग्राम छोटी लाख पटवार हल्का रिवाली में होकर ही है तथा यही रास्ता मौके पर पूर्व से ही बना हुआ भी है, परन्तु खसरा नम्बर 685 में बने हुए उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन नहीं हो रहा है । उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नियमानुसार मुआवजा अदा करने को तैयार हैं । प्रार्थीगण के अनुसार वे उक्त रास्ते में होकर शुरू से ही आमद रफ्त करते रहे हैं परन्तु अब अप्रार्थीगण के मन में बदयांति आ गई है और उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर आये दिन प्रार्थीगण को इस भूमि में होकर उनके आवागमन में परेशानी पैदा करते रहते हैं तथा रास्ता बंद करने की धमकी देते रहते हैं तथा दिनांक 08.10.2025 को अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को जबरदस्ती जे.सी.बी. व ट्रेक्टर के माध्यम से जोत दिया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बामनवास को भी शिकायत पेश की गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि को जबरदस्ती ट्रेक्टर द्वारा जोतने

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास(गंगापुर सिटी)

बाबत वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रार्थीगण के पास मौजूद है, अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि विरुद्ध है, उक्त रास्ते का प्रार्थीगण शुरू से ही उपयोग, उपभोग व प्रयोग कर रहे हैं परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण आये दिन उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियाँ देते रहते हैं । कागजात् सरकारी लैण्ड रिकॉर्ड रैवन्यू में उक्त रास्ते का कोई अंकन नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन अप्रार्थीगण से विवाद होता रहता है । मौके पर अर्से दराज से बने हुए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर मौके के अनुसार तरमीम करने का एक मात्र अधिकार रेवन्यू अधिकारी, कर्मचारी व श्रीमान् जी को प्राप्त है तथा यह उनके कर्तव्यों में भी शुमार है । इसके उपरान्त भी यदि श्रीमान् जी आदेश फरमाते हैं तो प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के बावत नियमानुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार है, विधि अनुसार खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु न्यायहित में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है, जिससे कि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आ जा सकें व कृषि यंत्र ला ले जा सके व भूमि का उपयोग उपभोग कर सके । आगे कथन किया गया है कि दिनांक 8.12.2025 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने तथा मुहावजा राशि लेने बाबत निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने व मुआवजा राशि प्राप्त करने से मना कर दिया तथा पूर्व से चले आ रहे रास्ते को बंद कर देने की भी स्पष्ट रूप से धमकी दी, इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अनुतोष में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपनी खातेदारी की आराजियात् में आने जाने हेतु व अपनी कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी हाल खसरा नम्बर 685 रकवा 3.85 हेक्टेयर स्थित ग्राम छोटी लाख पटवार हल्का रिंवाली, तहसील बामनवास में से 25 फिट चौड़े रास्ते, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है, को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया है । यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार मुआवजा राशि भी अदा करने को भी तैयार हैं।

अप्रार्थीगण को उक्त आशय के प्रार्थना पत्र के नोटिस प्रेषित किए गए । लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 20 की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, इसलिए दिनांक 18.3.2026 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।

उपखण्ड / कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2026/58 दिनांक 24.2.2026 की अनुपालना में अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने के लिए ग्राम रिवाली की मुख्य सड़क खसरा नम्बर 680 से रिवाली के खसरा नम्बर 682 तथा ग्राम सुकार के खसरा नम्बर 1196 एवं 1198 किस्म गैरमुमकिन रास्ते से ग्राम छोटी लाख की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 685 रकवा 3.84 हैक्टेयर, जो कि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, से निकलते हुए ग्राम सुकार के खसरा नम्बर 1274 गैरमुमकिन रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 685 ग्राम छोटी लाख में कोई रास्ता दर्ज नहीं है । प्रार्थीगण को आने जाने के लिए पूर्व में खसरा नम्बर 685 में रास्ता चालू था, लेकिन बाद में खातेदारान द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है । प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने के लिए रिवाली की मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 682 गैरमुमकिन रास्ता तथा खसरा नम्बर 1196 व 1198 किस्म गैरमुमकिन रास्ते से आगे खसरा नम्बर 685 में से होकर सबसे नजदीक रास्ता पड़ता है । प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 685 है । खसरा नम्बर 685 रकवा3.84 हैक्टेयर, जो कि खसरा नम्बर 1198 तथा 1275/2486 के मध्य पड़ता है, प्रार्थीगण पूर्व में खसरा नम्बर 685

उपखण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

में होकर आवागमन करते थे, बाद में खातेदारान द्वारा जोत लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है । खसरा नम्बर 685 में होकर धारा 251 (ए) के तहत रास्ता दिया जाना उचित है । साथ में यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में टी.आई. प्रकरण संख्या 136/2025 उनवान छीतर बनाम कमलेश वगैरहा में न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास द्वारा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली व उस पर उपलब्ध सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम सुकार में स्थित है तथा हाल खसरा नम्बर 680 ग्राम रिंवाली मुख्य सड़क मार्ग है । उक्त मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम रिंवाली स्थित गैरमुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 682 में होते हुए ग्राम सुकार स्थित गैरमुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1196 व 1198 में होकर ग्राम छोटी लाख, पटवार हल्का रिंवाली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 685 रकबा 3.84 हैक्टेयर में होकर अपनी खातेदारी की भूमि में जाने हेतु रास्ता है, जो तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी स्पष्ट है । प्रार्थीगण के पास वर्तमान में इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम या रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

है । ऐसे में विधि का भी यही सिद्धान्त है और धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में भी यही प्रावधित किया गया है कि यदि किसी खातेदार के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो निकटतम भूमि में होकर उसे रास्ता दिया जावेगा और रास्ते हेतु भूमि का निर्धारित मुआवजा रास्ता प्राप्त करने वाले पक्षकार से लिया जाकर, जिस खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता दिया जावेगा, उसके खातेदारान को अदा किया जावेगा ।

संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से व तहसीलदार बामनवास द्वारा पेश किए गए जवाब से यहां यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग वाले स्थान के अनुसार खसरा नम्बर 685 रकबा 3.85 हैक्टेयर स्थित ग्राम छोटी लाख, पटवार हल्का रिवाली में होकर चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक

उपखण्ड अधिकारी / कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

रास्ता उनकी खातेदारी की भूमि में पहुँचने के लिए दिखाई नहीं देता है तथा यही सबसे निकटतम रास्ता है । इसके विपरीत अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 20 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार का जवाब आदि पेश कर प्रार्थीगण के कथनों का किसी प्रकार से लिखित या मौखिक रूप से कोई खण्डन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के कथनों व तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अविश्वास किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । इसलिए प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि तक आने जाने व अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु आराजी हाल खसरा नम्बर 685 रकवा 3.85 हैक्टेयर स्थित ग्राम छोटी लाख, पटवार हल्का रिवाली, तहसील बामनवास में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना हमारे विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रिवाली, तहसील बामनवास में स्थित मुख्य

उपखण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

सड़क मार्ग खसरा नम्बर 680 से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल रंग के अनुसार 25 फिट चौड़े गैरमुमकिन रास्ते, अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 685 रकवा 3.85 हैक्टेयर स्थित ग्राम छोटी लाख, पटवार हल्का रिवाली में होकर है, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 20 की आराजी से रास्ते हेतु ली जाने वाली भूमि की पैमाईश की जाकर पैमाईश के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 से 20 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 685 से कम की जावे तथा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि की अद्यतन दर से डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थीगण से राजकोष में जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 20 की खातेदारी की भूमि से ली गई भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने से पूर्व प्रार्थीगण से उक्त भूमि बाबत मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में राशि जमा कराये जाने के उपरान्त उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 को उक्त भूमि बाबत मुआवजे स्वरूप नियमानुसार किया जावे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रास्ते के लिए जो भूमि ली जा रही है, उक्त भूमि पर तहसीलदार बामनवास की रिपोर्ट के अनुसार टी.आई. प्रकरण

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 136/2025 उनवानी छीतर बनाम कमलेश आदि में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश का उल्लेख किया गया है, इस सम्बन्ध में तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि स्थगन आदेश हटने पर रास्ता एक सार्वजनिक हित का होने के कारण उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित की जावें। आदेश की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को तहरीर जारी की जावे ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)
(प्रियंका कड़ेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 30.3.26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)
(प्रियंका कड़ेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with OKEN Scanner